



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230413
CG-DL-E-14102021-230413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 310]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

(मामला सं. एडीडी-एसएसआर-24/2020)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “आयरन, अलॉय या गैर-अलाय स्टील से सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और होलो प्रोफाइल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/43/2020 - डीजीटीआर. — समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेख पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और चोट के निर्धारण के संबंध में) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/43/2020 - डीजीटीआर, दिनांक 30 जुलाई, 2021 के तहत उपर्युक्त जांच में अंतिम निष्कर्षों को अधिसूचित किया है।

1. उपर्युक्त अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, अनुच्छेद 148 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: -

"148. इन परिस्थितियों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित देश के मूल या वहां से निर्यातित, नीचे दी गई शुल्क सारणियों के कॉलम (3) में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित वस्तुओं के सभी आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश

करते हैं। संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और शुल्क तालिका के कॉलम (8) में उल्लिखित राशि के बीच अंतर, बशर्ते कि पहुंच मूल्य शुल्क तालिका के कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो, आगे की अवधि के लिए पांच केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से वर्ष।”

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi the 13th October, 2021

Case No - AD-SSR 24/2020

Subject: - Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of “Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profile of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel” originating in and exported from China PR-reg.

F. No. 7/43/2020 – DGTR – Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Article and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority has notified the final findings in the abovementioned investigation vide Notification No. 7/43/2020-DGTR, dated 30th July, 2021.

1. In partial modification of the above-mentioned Notification, Para 148 is substituted as under: -

“148. Under these circumstances, the Designated Authority recommends imposition of an anti-dumping duty on all imports of the subject goods, as detailed in column (3) of the Duty Tables below, originating in or exported from the subject country, at a rate equivalent to the difference between the landed value of the subject goods and the amount mentioned in column (8) of the Duty Table, provided that the landed value is less than the value specified in column (8) of the Duty Table, for a further period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.”

ANANT SWARUP, Jt. Secy. and Designated Authority